राजस्व वाद संख्या 29/2019
जीताराम बनाम गुगनराम वगै0
निर्णय दिनांक 03.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

मु0नं0— 29/2019

जीताराम पुत्र श्री सरदाराराम, जाति जाट, निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0) ————वादी

बनाम

1. गुगन पुत्र सरदाराराम, जाति जाट, निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)

2. मृतक मेहरचन्द पुत्र सरदाराराम, जाति जाट, निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0) **''नोट—दौराने दावा देहान्त हो गया।''**

2/1. प्यारेलाल, 2/2. राजेन्द्र — पुत्रगण, 2/3. फुली देवी स्त्री — स्व. मेहरचन्द, जाति जाट, निवासीगण काकोडा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

2/4. श्रीमती किस्तुरी पुत्री स्व. मेहरचन्द, स्त्री चन्द्रभान, जाति जाट, निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ, हाल निवासी मनोहरपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज0)

3. मु0 सरबती पुत्री सरदाराराम स्त्री रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी घरडाना कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज0)

4. धर्मपाल पुत्र मुंगाराम, जाति जाट, निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)

5. सालिम सिंह पुत्र अमरसिंह उतराधिकारी श्री माधोसिंह पुत्र बृजलालसिंह, जाति राजपूत, निवासी महनसर, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0) **''नोट—दौराने दावा देहान्त हो गया।''**

5/1. नरपत सिंह पुत्र, 5/2. आनन्द कंवर पुत्री — स्व. सालिमसिंह, जाति राजपूत, निवासी महनसर तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0)

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with OKEN Scanner

5/3. अनोप कंवर स्त्री स्व. सुमेरसिंह पुत्रवधु सालिम सिंह, जाति राजपूत, निवासी महनसर, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0)

6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं (राज0) वर्तमान तहसीलदार सूरजगढ।

-----प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक तथा दुरूस्ती रिकार्ड

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.01.2023

उपस्थित अधिवक्तागण

1. वादी अधिवक्ता— श्री संदीप मान एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/4— श्री अजय एडवोकेट

वादी की ओर से वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम काकोडा, तहसील चिडावा स्थित भूमि जिसके नये ख0नं0 203 रकबा 1.83 हैक्टर, ख0नं0 202 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 1.86 हैक्टर जिसके दोनों के पुराने खसरा नम्बर मिन 104 13 बीघा 2 बि वा पुख्ता मे 7 बीघा 6 बि वा पुख्ता का वादी कानूनन काबिज खातेदार का तकार है किन्तु रेवेन्यु रिकार्ड में ऐसा दर्ज नहीं हो पाया रेवेन्यु रिकार्ड में उपरोक्त भूमि का इन्द्राज सम्वत् 2012 से 2024 तक खसरा गिरदावरी मे वादी के पिता श्री सरदाराराम के नाम से इन्द्राज होता आया है। सरदाराराम का स्वर्गवास हुऐ करीब 8—10 साल हो गये किन्तु नियमानुसार इन्तकाल वादी के हक मे तस्दीक होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ ही रेवेन्यु रिकार्ड में आखरी जमाबन्दी में श्री सरदाराराम पिता वादी का हिस्सा 1/2 तथा श्री मुंगाराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/2 गलती से दर्ज हो रहा है जो काबिल दुरूस्ती है और श्री मुंगाराम का नाम हजफ होने योग्य है। श्री सरदाराराम व श्री मुंगाराम दोनों का ही स्वर्गवास हो चुका है। स्व. मुंगाराम का उत्तराधिकारी धर्मपाल है जिसे दावे में प्रतिवादी संख्या 4 बनाया गया है। इस प्रकार वादी के हक मे उसके कब्जे व खातेदारी की जमीन का इन्द्राज रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी अकेले वादी का नाम दर्ज होने योग्य है। अन्य प्रतिवादीगण गुगनराम, मेहरचन्द व मु0 सरबती का उपरोक्त वर्णित भूमि 1.86 हैक्टर में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। मु0 सरबती का विवाह बहुत अर्से पहले ही हो चुका था और उसने सरदाराराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं लिया था। प्रतिवादी गुगन व मेहरचन्द का वादी से घरेलू तौर पर समझौता इसी प्रकार हो गया था और उनके पास दीगर जमीन व कुआं रहते हुऐ उपरोक्त वर्णित पूरी भूमि रकबा 1.86 हैक्टर का खातेदार का तकार वादी को मान लिया गया था। घरेलू सैटलमेंट की लिखापढी 5/—रूपयें के स्टाम्प पर दिनांक 27.01.1993 को की हुई है। विवादित भूमि की खातेदारी गलती से श्री माधोसिंह पुत्र बृजलालसिंह, जाति राजपूत, निवासी महनसर के नाम अंकित है। जिसका स्वर्गवास हुये करीब 30—35 साल हो गये। स्वर्गीय माधोसिंह के कोई जायन्दा औलाद नहीं है और न उत्तराधिकारी है। माधोसिंह का नाम बहुत पहले ही रेवेन्यु रिकार्ड से हजफ हो जाना चाहिए था किन्तु भूलवश सम्बंधित रेवेन्यु कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

श्री सालिम सिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी महनसर उक्त माधोसिंह का उत्तराधिकारी बताया जाता है। कानूनन कोई उलझन न रहे इस हेतु सालिम सिंह को भी प्रतिवादी संख्या 5 बनाया गया है।

इस प्रकार दावा पेश कर वादी ने सिद्धि चाही कि इस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावे कि वादी को नये ख0नं0 203 रकबा 1.83 हैक्टर, ख0नं0 202 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 1.86 हैक्टर का खातेदार का तकार घोषित किया जावे और दादरसी जो बहक वादी हो और भूल से चाही जाने से रह गई हो वह धारा 209 राजस्थान का तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सादिर फरमाई जावे।

वादी द्वारा दावा मय दस्तावेज दिनांक 29.03.1993 को न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। दावा दिनांक 31.05.1993 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो गया। दिनांक 05.04.1994 को दावा पुनः नम्बर पर लेकर दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 27.05.1994 को दावा पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो गया। दिनांक 23.09.1994 को दावा पुनः नम्बर पर लेकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की प्रस्तुत तलवाने पर तामील करवायी गई। दिनांक 01.11.1994 को प्रतिवादी संख्या 04 अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 29.05.1995 को प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 12.03.1996 को प्रतिवादी संख्या 01 गुगन उपस्थित हुआ। दिनांक 18.07.1996 को प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 28.10.1996 को प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में नियत की गई। दिनांक 09.08.1999 को प्रतिवादी संख्या 5 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी के तहत कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 26.06.2000 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम अन्दर मियाद पेश नहीं करने पर अबेट अतः दावा खारीज फरमाया गया। दिनांक 01.10.2001 पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर (न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2000 निरस्त हो जाने के कारण) दावा पुनः नम्बर पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 05 के वारीसान को बहैसीयत प्रतिवादी संख्या 05/1 लगायत 05/03 लाल स्याही से अंकित कर प्रतिवादी बनाया गया। दिनांक 03.11.2001 को प्रतिवादी संख्या 5/3 अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । दिनांक 19.11.2001 वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 01.12.2001 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सीपीसी स्वीकार किया गया। दिनांक 19.01.2001 को साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू–1 जीताराम के बयान करवाये गये। दिनांक 15.07.2006 को प्रतिवादी की निगरानी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त हुई। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरवी मुकदमा नोटिस जारी किये गए। दिनांक 10.08.2006 को प्रतिवादी संख्या 05/1 लगायत 05/03 के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । दिनांक 22.08.2006 को साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–2 हरदयाल तथा पीडब्ल्यू–3 हवासिंह के बयान करवाये गये वादी और कोई शहादत पेश नहीं करने पर है साक्ष्यवादी बन्द की गई। दिनांक 03.12.2006 को वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी के तहत कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया शमिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 5/1 नरपतसिंह एवं 5/3 अनोप कवंर अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तथा प्रतिवादी संख्या 5/2 आनन्द कवंर की तामील जरीये अखबार में साया के आदेश फरमाये गये। दिनांक 30.05.2007 को वादी वकील ने सम्मन की अखबार साया की प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.06.2007 को मेहरचन्द की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 30.08.2007 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पर बहस सुनी गई व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 07.03.2008 को वकील प्रतिवादी ने जवाब दर0 आदेश 08 नियम 01 सीपीसी व जवाब दावा पेश किया। दिनांक 14.03.2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 सीपीसी खारीज किया गया। दिनांक 20.10.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी का नाम प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में जोड़ा गया। संशोधित टाईटल पेश किया जावें। दिनांक 24.02.2010 को प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा बार–बार अवसर दिए जाने पर भी जवाब नहीं देने पर जवाब बन्द किया गया। दिनांक 11.03.2010 को वकील वादी ने एक दर0 आदेश 14 नियम 5 सीपीसी पेश की जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलायी गई। दिनांक 29.04.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी बाद बहस खारिज की गई। दिनांक 24.05.2010 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन आदेश व मिसल तलबी की तहरीर प्राप्त हुई । पत्रावली भिजवायी गयी। दिनांक 26.10.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई । दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 13.03.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 15.12.2020 को प्रतिवादीगण के खिलाफ पूर्व में एक पक्षीये कार्यवाही हो चुकी है अतः पत्रावली बहस में नियत की गई। दिनांक 21.12.2020 को वकील वादी द्वारा बहस की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश में नियत की गई। दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 2/1 की और से श्री अजय कुमार एड0 ने वकालतलामा पेश किया। दिनांक 05.02.2021 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम आदेश 22 नियम 4 सीपीसी मय दफा मियाद अधिनियम 5 पेश किया गया। दिनांक 16.08.2021 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गयां। व संशोधित टाइटल दिनांक 10.11.2021 को पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 09.12.2022 को प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगवाने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 03.01.2023 मे नियत की गई।

दावा में निम्न तनकीयात कायम की गई:—

1. आया ग्राम काकोडा तहसील चिडावा में स्थित भूमि ख0नं0 203 रकबा 1.83 हैक्टर, ख0नं0 202 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 1.86 हैक्टर और वादी को खातेदार हकूक कानूनन प्राप्त है और वह काबिज है। इन्द्राजात रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी आखीर तक वादी के पिता के हक मे है तथा अन्य प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। ——वादी

2. आया आखरी जमाबंद्री सम्वत .... मे वादी के पिता सरदाराराम के नाम के साथ मुंगाराम पुत्र नाथाराम का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो गया और मुंगाराम का नाम हजफ होने योग्य है। ——वादी

3. आया माधोसिंह पुत्र बृजलाल सिंह का नाम रेवेन्यु रिकार्ड मे गलत तौर पर चल रहा है जिसका मुतराबिया जमीन से कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है न कभी काश्त की है न काबिज रहा है तथा सालिमसिंह प्रतिवादी संख्या 5 का भी जमीन से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है। ——वादी

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

4. आया मुतराबिया जमीन पर प्रतिवादी संख्या 5 सालिम सिंह काबिज काश्तकार है और वादी के पिता के हक मे इन्द्राजात रेवेन्यु रिकार्ड गलत दर्ज हुये है। --प्रतिवादी

5. दादरसी।

उक्त तनकीयात कायम होने पर शहादत वादी मे पीडब्ल्यू 1 वादी स्वंय, पीडब्ल्यू 2 हरदयाल, पीडब्ल्यू 3 हवासिंह के शपथ पत्र पेश हुए। वादी पीडब्ल्यू 1 से जिरह हुई जिसमें विवादित भूमि पर अपने पिता का पहले कब्जा व बाद मे भाई बंटवारे में स्वयं काबिज काश्त होना बताया। बाकि गवाह से जिरह प्रतिवादी ने नहीं की। वादी ने अपनी शहादत में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 11 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादी ने अपनी शहादत पेश नहीं की। दौराने दावा प्रतिवादी संख्यां 2 व 5 की मृत्यु हो गई उनके विधिक प्रतिनिधिगण को फरीक दावा बनाया गया तथा उनकी जरिये सम्मन तामील करवायी गयी।

वकील वादी की बहस सुनी गई और वकील वादी ने अपनी बहस मे बताया कि जमीन ख0नं0 104 रकबा 13 बीघा 2 बिश्वा स्थित ग्राम काकोडा पहले महनसंर ठिकाने के तहत की कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि मे से 7 बीघा 6 बिश्वा कृषि भूमि को वादी के पिता सरदाराराम पुत्र उदा ने काश्त हेतु ली थी तथा जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2019 तक मे वादी के पिता सरदाराराम उपकृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 23 मे कृषक के कॉलम में सरदाराराम का नाम व काश्तकार अंकित है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पहले खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 वादी थी जो वार्षिक रजिस्टर था जिसमें वादी के पिता सरदाराराम का काश्तकार के कॉलम मे नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के रोज वादी का पिता सरदाराराम वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त था और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपनी कृषि भूमि का टीनेन्ट हो गया। राजस्व कर्मचारियों की गलती से ठिकानेदार एवं पानेदार माधोसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होता रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि को ठिकानेदार ने कभी भी काश्त नहीं किया है और न ही राजस्व रिकार्ड मे खुद काश्त दर्ज है। तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य पारिवारिक समझौता मे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के हक मे आई है तथा इस बात की लिखावट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सन् 1993 मे वादी के हक मे लिखवा दी थी। इस कारण वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कोई बहस नहीं की।

पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेज का परिशीलन किया गया।

दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 11 का भी अवलोकन किया गया। जिससे तनकी संख्या 1 व 2 व 3 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन तीनों तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर रहा है। वादी की लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश की गई। साबिक खसरा नं0 104 रकबा 13 बीघा 2 बिश्वा पहले महनसर ठिकाना के तहत की कृषि भूमि थी तथा ठिकानेदार श्री माधोसिंह पुत्र बृजलालसिंह था। ठिकाने से वादग्रस्त भूमि को वादी के पिता सरदाराराम ने काश्त हेतु ली थी। तथा ठिकाना स्वयं ने वादग्रस्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 5 व उसके वारिसों ने काश्त करना साबित किया है। उक्त गत खसरा नम्बर 104 का पत्रावली पर पेश राजस्व रिकार्ड मे भी वादी के पिता सरदाराराम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आया तब व उसके बाद काश्त दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2012 में सरदाराराम उपकृषक दर्ज कर रखा है। इस प्रकार वादी का पिता सरदाराराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया तब बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ टिनेन्ट हो गया और ठिकानेदार माधोसिंह पुत्र ब्रजलालसिंह का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड में भूलवश गलत अंकित होता

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रहा है। वादी ने प्रदर्श 11 प्रतिवादी 2 व 3 का शपथ पत्र पेश हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने पारिवारिक समझौते ने सरदाराराम की उक्त कृषि भूमि वादी के हक मे आई हुई है। यह प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की स्वीकृति रही है।

उक्तानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के हक मे तथा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 5/1 लगायत 5/3 के विरूद्ध तय की जाती है। न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.03 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 203 रकबा 1.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर वाके ग्राम काकोडा, तहत तहसील सूरजगढ का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 29/2019

निर्णय दिनांक :— **03-01-2023**

जीताराम बनाम गुगन वगै0

दावा घोषणात्मक तथा दुरूस्ती रिकार्ड

वादी की ओर से **श्री संदीप मान एड0** व प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **03.01.2023** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.03 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 203 रकबा 1.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर वाके ग्राम काकोडा, तहत तहसील सूरजगढ का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **03.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner